<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>27.11.2024</u>

माननीय विशेष न्यायालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत पुष्पेश कुमार बैद और अन्य की 24 करोड़ रुपये की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। इससे पहले, 03.01.2024 को उक्त माननीय विशेष न्यायालय ने पुष्पेश कुमार बैद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।

ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में पुष्पेश कुमार बैद और अन्य के खिलाफ सीबीआई, कोलकाता द्वारा दर्ज 08 एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि पुष्पेश कुमार बैद के स्वामित्व और नियंत्रण वाली विभिन्न कंपनियों ने कई भूखंडों और फ्लैटों के झूठे वित्तीय विवरण और जाली दस्तावेज जमा करके बैंकों से ऋण लिया और एसबीआई, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और इलाहाबाद बैंक से 183 करोड़ रुपये (लगभग) का ऋण लिया। उक्त ऋण राशि के वितरण पर, उन्होंने इसे अपने कर्मचारियों/सहयोगियों की कंपनियों/फर्मों के नाम पर खोले गए बैंक खातों के माध्यम से डायवर्ट किया।

ईडी ने पुष्पेश कुमार बैद और अन्य के खिलाफ 28.02.2022 को पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत दायर की। मास्टरमाइंड पुष्पेश कुमार बैद फरार था और अभियोजन कार्यवाही से बचता रहा और उसके खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। यह पता चला है कि वह वर्तमान में यूएसए में रह रहा है।

चूंकि पुष्पेश बैद फरार था और एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था, एफईओए के तहत आवेदन दायर किया गया था और माननीय विशेष न्यायालय ने पुष्पेश कुमार बैद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया और पुष्पेश कुमार बैद और अन्य से संबंधित 13.40 लाख (लगभग) की विभिन्न चल संपत्तियों और 23.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (कुल 24 करोड़ रुपये की संपत्ति) को जब्त करने का आदेश दिया। जब्त की गई अचल संपत्तियां कोलकाता और तिरुपुर, तमिलनाडु में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थित हैं।

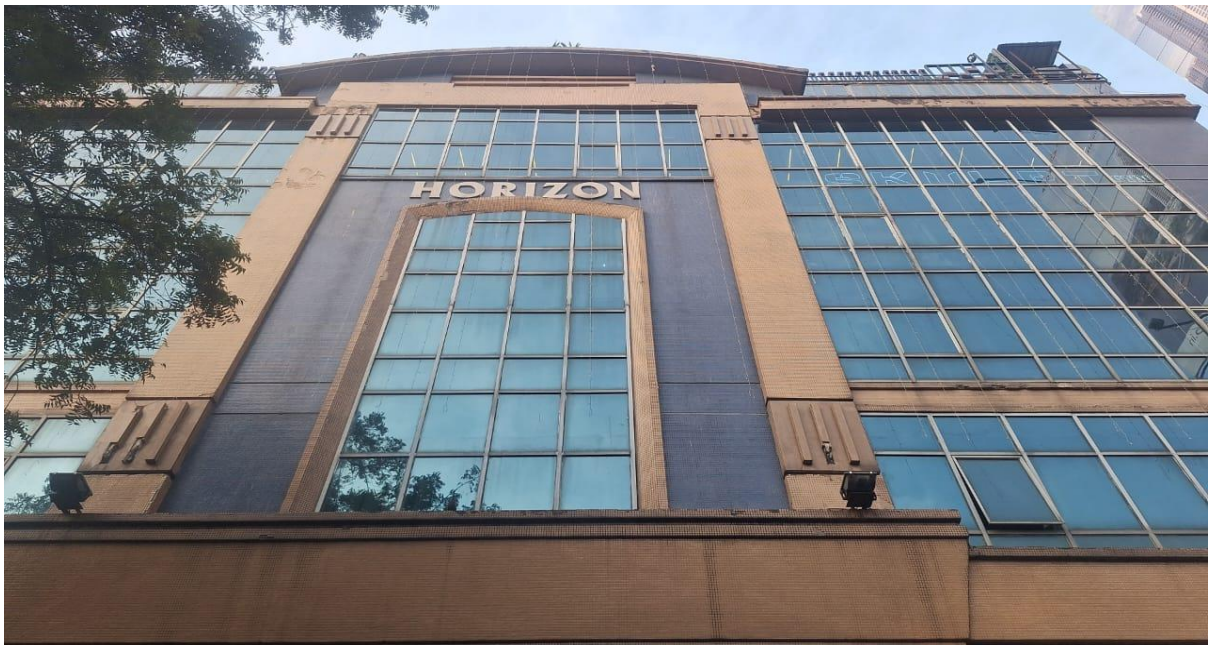
HORIZON